भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4149

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल परियोजनाओं को पूरा करना

4149. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेलंगाना में जल से संबंधित परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश में "जलयागुम" परियोजना को भी पूरा करने के लिए वित्तीय और अन्यथा सहायता कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या का अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए अपनाए गए मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों राज्यों में इस तरह की परियोजनाओं के पूरा करने में वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निभाई गई/निभाई जाने वाली भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तय की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और तयशुदा समय-सीमा के भीतर उन्हें पूरा करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ) जल संसाधन, परियोजना को राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकता के आधार पर नियोजित, वित्त पोषित, कार्यान्वित और अनुरक्षित किया जाता है। उनके प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों व तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई- (एआईबीपी) के अंतर्गत निन्यानवे (99) जारी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है तथा शेष बची 77,595 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत (केंद्रीय सहायता 31342 करोड़ रूपए का घटक) को राज्यों के साथ परामर्श करके उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) निर्माण कार्यों सहित

दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय और राज्य शेयर दोनों के लिए निधियन व्यवस्था लंबी अवधि की सिंचाई निधि के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से अनुमोदित की गई है।

प्राथमिकीकृत 99 एमएमआई परियोजनाओं और उसके पश्चात निधियन के लिए अनुमोदित अन्य परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्राथमिकीकृत 99 परियोजनाओं में से 8 सिंचाई परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया था, जलयागुम कार्यक्रम 2004 में राज्य में विविध सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आरंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश की 2 प्राथमिकीकृत परियोजनाएं नामतः येरोकलावा और मड्डीगेड्डा 2004 से पहले आरंभ हुई थी और जलयागुम कार्यक्रम की भाग नहीं है। आंध्र प्रदेश की शेष प्राथमिकीकृत परियोजनाएं नामतः कुंडलाकम्मा, ताराकर्मा, तीर्था, पुष्करा, थोट्टापल्ली, ताडीपुड्डी और मुसरूमिल्ली जलयागुम कार्यक्रम की भाग हैं। 2016-17 से क्रमशः एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम घटकों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की 8 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए 22.70 करोड़ रूपए और 69.18 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए 2016-17 से एलटीआईएफ के अंतर्गत 489.34 करोड़ रूपए का राज्य शेयर प्राप्त किया।

तेलंगाना की 11 प्राथमिकीकृत परियोजनाएं हैं। 2016-17 से एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम वे अंतर्गत तेलंगाना की 11 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए क्रमशः 560.69 करोड़ रूपए और 36.36 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, जल निकाय स्कीम की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना के अंतर्गत 12वीं योजना के बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना को 2.7 करोड़ रूपए और 104.56 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की है।

*****

"जल परियोजनाओं को पूरा करना" विषय पर दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4149 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.□□	राज्य का नाम	□□□□□□□□□□-□□□□□□□ के अंतर्गत एमएमआई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या	केंद्रीय सहायता प्राप्त और पूरा करने का लक्ष्य वाली अन्य परियोजनाएं
1.	आंध्र प्रदेश	8	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2013 (जून, 2021) की धारा 90(1) के अंतर्गत पोलावरम सिं परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया।
2.	असम	3	
3.	बिहार	2	
4.	छत्तीसगढ़	3	
5.	गोवा	1	
6.	गुजरात	1	
7.	जम्मू और कश्मीर	4	
8.	झारखंड	1	
9.	कर्नाटक	5	
10.	केरल	2	
11.	मध्य प्रदेश	14	
12.	महाराष्ट्र	26	विदर्भ और मराठवाड़ा तः शेष महाराष्ट्र के अत्यधिक सूखा संभावित क्षेत्रों में विशेष पैकेज (2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से)
13.	मणिपुर	2	
14.	ओड़िशा	8	
15.	पंजाब	2	1. शाहपुरकंडी बांध परियोजना (जून, 2022) 2. सरहिंद और राजस्थान फीडर का संरेखण (जून, 2021)
16.	राजस्थान	2	
17.	तेलंगाना	11	
18.	उत्तर प्रदेश	4	
	□□□	**99**	

****